3309
16.7.13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

# न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

**आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत**

**सन्दर्भित वाद संख्या–51/2013–14**

**शहनवाज आलम बनाम अमीना खातुन वगैरह।**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित |
|---|---|---|

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक शहनवाज आलम पिता– मो0 साकीर ग्राम– बनवारी पट्टी थाना– केवटी जिला– दरभंगा के आवेदन दिनांक 16.04.2013 पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए दिनांक 17.04.2013 को प्रारम्भ की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में निम्नांकित व्यक्ति है :–

(1) अमीन खातुन जौजे सदरे आलम
(2) जोबेदा खातुन जौजे मो0 शमसुल
दोनों ग्राम– वाजीतपुर मगरथो पो0 कोठिया थाना कमतौल जिला दरभंगा।
(3) पुनीता देवी जौजे– प्रभू मण्डल
ग्राम बनवारी पट्टी थाना केवटी।
(4) अब्दुल सत्तार अंसारी पेसर मो0 हमीद अंसारी
ग्राम केवटी टोले जिबड़ा थाना केवटी।
(5) राम विलास प्रसाद गुप्ता पेसर स्व0 सोने लाल प्रसाद गुप्ता
ग्राम बनवारी पट्टी थाना केवटी जिला दरभंगा।

विवाद के अन्तर्गत इस वाद में निम्न ब्योरे की भूमि है जो अंचल केवटी अन्तर्गत मौजा नयागाँव में अवस्थित है :–

| क्रम सं0 | खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 863 | 230 पु0 | 08 कट्ठा | उ0–मनोहर सहनी |
| | | 353नया | | द0–मुसाफिर झा |
| | | | | पू0–छठु सहनी |
| | | | | प0– निर्भय लाल दास |

| क्रम सं0 | खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2459 | 345 | 06 कट्ठा 05 धुर | उ0–रामप्रसाद गुप्ता |
| | 189 | 222 | | द0–सदीपा खाँ |
| | | | | पू0–रामप्रसाद गुप्ता |
| | | | | प0– नीज आवेदक |

11/09/13

| आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित | आदेश और अधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश की क्रम संख्या और तारीख |
|---|---|---|

| क्रम सं0 | खाता | क्षेत्रफल | रकबा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 729 | 216 पु0 338 नया | 02 कट्ठा 07 धुर | उ0-चन्द्रदेव पासवान |
| | | | | द0-रास्ता |
| | | | | पू0-रामचन्द्र मुखिया |
| | | | | प0- चन्द्रदेव पासवान |
| क्रम सं0 | खाता | क्षेत्रफल | रकबा | चौहद्दी |
| 4 | 266 | 374 नया | 05 कट्ठा | उ0-शिवनारायण साह |
| | | | | द0-जयलाल पासवान |
| | | | | पू0-पोखर |
| | | | | प0- शिवनारायण साह |

| क्रम सं0 | खाता | क्षेत्रफल | रकबा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 189 | 222 | 06 कट्ठा | उ0-रामचन्द्र मुखिया |
| | | | | द0-चौकीदार जी |
| | | | | पू0-रामचन्द्र मुखिया |
| | | | | प0- नवीन आदर्क |

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद की रिपोर्ट करने हेतु विपक्षियों को दिनांक 29.04.2013 को [illegible] सूचना की तामील हुई, विपक्षीगण कार्यालय में उपस्थित हुए तथा आमीन [illegible] आवेदक ने [illegible] सं0- 3356 दिनांक 16.04.2013 को [illegible] दाखिल किया है। [illegible] की गई है।

आवेदक ने अपना पक्ष में बहस किया है कि [illegible] है।

आवेदक ने अपना परिवार के वंशावली का [illegible] (1) मा0 [illegible] (2) मा0 [illegible] (3) मा0 [illegible] (1) आवेदक [illegible]

| देश की क्रम संख्या र तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| | तथा तीन पुत्र– नाबालिग है।<br>आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत भूमि इनकी खतियानी है जो पूर्वज से प्राप्त है जिसमें से पश्नगत क्रम सं0 01 की भूमि विपक्षी सं0 01 एवं 02 ने दिनांक 14.07.2012 को विपक्षी सं0 03 को बेच दिया तथा क्रम सं0 02 की प्रश्नगत भूमि पूरब से दिनांक 14.07.2012 को विपक्षी सं0 03 को बयनामा कर दिया और दिनांक 14.07.2012 को ही प्रश्नगत क्रम सं0 03 की भूमि को विपक्षी सं0 03 को बयनामा कर दिया। प्रश्नगत क्रम सं0 04 की भूमि को अमीना खातुन एवं जोवेदा खातुन ने विपक्षी सं0 05 राम विलास प्रसाद गुप्ता के हाथ बेच दिया जो आवेदक के हिस्से की भूमि है। उसी प्रकार प्रश्नगत क्रम सं0 05 की भूमि को विपक्षी सं0 01 एवं 02 ने विपक्षी सं0 04 अब्दुल सत्तार अंसारी के हाथ दिनांक 14.07.2012 को बयनामा कर दिया।<br>आवेदक ने कहा है कि प्रश्नगत सभी भूमि को विपक्षीगण नाजायज एवं फरेबी तरीके से खरीद–बिक्री कर दिए जो इनके पिता एवं इनके हिस्से की है एवं शान्तिपूर्ण दखल कब्जे में चला आ रहा था। आवेदक ने कई दिन विपक्षीगण को प्रश्नगत भूमि को खाली कर उसपर दखल कब्जा आवेदक को देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षगण अपने जिद्द पर अड़े रहे तब आवेदक ने धारा– 144 दं0 प्र0 सं0 का मुकदमा किया एवं दिनांक 31.03.2013 को पंचायत बैठाया लेकिन विपक्षीगण ने अनसुनी कर दिया।<br>आवेदक ने प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीयों के दखल कब्जा को समाप्त कर उसपर अपने को दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है तथा प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के समर्थन में मो0 साकीर वो मो0 जाकीर पिता सफील बहिस्से बराबर का खाता नं0 1306 खेसरा नं0 374 एवं 353 के खतियान तथा जमाबन्दी सं0 4771 बनाम मो0 साकीर वो मो0 जाकीर के नाम 01 एकड़ 12 डी0 के निश्वत राजस्व रसीद वर्ष 2012–13 की छायाप्रति, जहिदा खातुन के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया है।<br>विपक्षीयों द्वारा दाखिल लिखित ब्यान सह आपत्ति आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों से ही कानून की दृष्टि में यह वाद Maintainble नहीं है, आवेदक के आवेदन से ही स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 03 से 05 विभिन्न दास्तावेजों से rightful owner एवं title holder विपक्षी सं0 01 एवं 02 से प्रश्नगत भूमि Purchase किया है तथा दखल कब्जे में चले आ रहे हैं।<br>क्रेता विपक्षीयों का दावा है कि इनलोगों के शान्तिपूर्ण दखल कब्जे को पाकर अंचल के सिरिस्ते में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी सं0 4723 एवं 4724 कायम की गई है तथा ये लोग बिक्रेता विपक्षी सं0 01 एवं 02 के bonafide Purchasers है। | |

11/09/13

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| | विपक्षीयों ने आवेदक के वाद को प्रस्तुत करने का कोई Cause of action नहीं होना बताते हुए Claim को dismiss करने का अनुरोध किया है।<br>विपक्षीयों की ओर से जमाबन्दी सं0 4723 बनाम पूनीता देवी एवं जमाबन्दी सं0 4724 बनाम हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी तथा जमाबन्दी सं0 4795 बनाम राम विलास प्रसाद गुप्ता वर्ष क्रमशः 2012–13, 2012–13 एवं 2013–14 की छायाप्रति एवं संबंधित सभी दास्तावेजों की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है।<br>उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे प्रतिदावे का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।<br>आवेदक द्वारा प्रस्तुत R.S. खतियान बनाम मो0 साकीर एवं जाकीर के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त खतियान में मात्र दो खेसरा सं0 374 एवं 353 का ही उल्लेख है, जबकि विषय के अन्तर्गत खेसरा नं0 222, 338, 345 की भूमि भी है जिसके संबंध में आवेदक के पास कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।<br>सुनने से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल खतियान उनके पिता एवं चाचा मो0 जाकीर के नाम है जो अभी जिन्दा है जिन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है फलतः प्रथमतः इस वाद में पक्षदोष होना दृष्टिगोचर होता है।<br>द्वितीयक रूप से यह विदित होता है कि इस वाद में आवेदक ने कोई cause of action का उल्लेख नहीं किया है जिससे यह परिलक्षित हो कि विपक्षीयों ने उन्हें कब एवं किस तिथि को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया है।<br>तृतीय यह विदित होता है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि में अपना हिस्सा होना बताते हैं जैसा कि आवेदक द्वारा दाखिल मुफ्ती मदरसा इस्लामिया महमुदुल ओलम, दलमा, कमतौल, मधुबनी के जनाब मो0 युसुफ कासमी के मशविरा से स्पष्ट है।<br>उपरोक्त से आवेदक के दावे में हकियत तथा स्वत्व न्याय निर्णीत करने का जटिल प्रश्न निहित होना परिलक्षित होने के साथ–साथ स्वयं आवेदक के वाद पत्र से विपक्षीयों के दावे की पुष्टि होना विदित होता है।<br>सुनने एवं कागजातों के परिशिलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी सं0 01 एवं 02 ने विपक्षी सं0 03 से 05 तक को विभिन्न केवाला द्वारा बयनामा किया है जिसकी जमाबन्दी भी विपक्षी क्रेतागण के नाम कायम की गई है तथा केवाले के अनुसार क्रेता विपक्षीगण शान्तिपूर्ण कब्जे मे चले आ रहे है जिनके विरूद्ध आवेदक ने अपने हकियत/हिस्सा/स्वामित्व का दावा करते हुए प्रस्तुत वाद दायर किया है जिसमें न तो कोई cause of action है और न आवेदक के स्वत्व को प्रमाणित करने के निमित कोई साक्ष्य है, और जो खतियान है | |

11/09/13

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| | वह मात्र दो खेसरा के निमित है जो आवेदक के पिता एवं चाचा है जिन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि खतियानी रैयत जीवित है। उपर्युक्त तमाम परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में ऐसा कोई भी ठोस Ingredients उपलब्ध नहीं है जो B.L.D.R. Act 2009 के तहत आवेदक को अनुतोष प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो, अतएव आवेदक का वाद Maintainable प्रतीत नहीं होता है।<br>अतः उपर्युक्त गौरतलब प्ररिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद को Maintainability ground पर dismiss किया जाता है। साथ हीं आवेदक को निदेशित किया जाता है कि यदि चाहें तो अपने स्वत्व संबंधी दावे के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना कर सकते हैं।<br><br>लेखापित एवं शुद्धित<br>11/09/13<br>भू० सु० उप समाहर्त्ता<br>सदर, दरभंगा।<br><br>11/09/13<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता<br>सदर, दरभंगा। | |